

न्यायालय उप जिला कलक्टर हिण्डौन, जिला करौली

पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार बुनकर आर.ए.एस

43/2011

तारीख रजु:- 15.02.2011


आम जनता खेडीघाटम बनाम जिला कलक्टर करौली आदि

दावा वावत इस्तकरार हक एवं स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

9.2019 पत्रावली पेश हुई। वादी व वादी वकील उपस्थित नहीं है। बार-बार ज दिलाने पर भी कोई उपस्थित नहीं आया ना ही किसी प्रकार का आवेदन साक्ष्य पेश किया गया है। वकील प्रतिवादीगण द्वारा भी अपने जबाब दावा काउण्टर क्लेम नहीं चाहा गया है।

अतः वादी का दावा धारा 188 व 88 राजस्थान कारस्तकारी अधिनियम आफ प्रतिवादीगण का अदम हाजरी अदम पैरवी एवं अदम मकमील में खारिज जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर वाद तकमील दाखिल दफतर हो।


उप खण्ड अधिकारी
उप खण्ड अधिकारी
हिण्डौन